

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक: एफ.11(2)/मो./ICDS मिशन/2014/47699-731  
उप निदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त।

जयपुर, दिनांक: 28-3-18

विषय:- आई.सी.डी.एस मिशन मोड के अन्तर्गत संविदा पदों को दिनांक 01.01.2018 को तत्काल प्रभाव से हटाने के संदर्भ में।

प्रसंग:- प.11(2)/मो./ICDS मिशन/2014/13-349 दिनांक 01.01.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आई.सी.डी.एस मिशन मोड के अन्तर्गत डाटा एन्ट्री आपरेटर के लिए एजेंसी के माध्यम से कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (Machine with Man) की संविदाओं की ली जा रही सेवाओं को दिनांक 01.01.2018 को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में जिन संविदा कर्मियों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर कर स्थगन प्राप्त किया है। जो वर्तमान में प्रभावी हो उनकी नामवार सूची दो दिवस में विभागीय की ई-मेल [jdm.wcd@rajasthan.gov.in](mailto:jdm.wcd@rajasthan.gov.in) पर भिजवाना सुनिश्चित करावें। अवमानना होने की स्थिति में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

47 ✓  
आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.11(2)/मो./ICDS मिशन/2014/47732-8035 जयपुर, दिनांक: 28-3-18  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. ACP उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर डायलोड करवाएँ।

अति. निदेशक (आई)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर